Agenda Item No AU/BOM-22
-31-3/331

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रबन्ध बोर्ड की 21वीं बैठक का कार्यवृत जो कृषि अनुसन्धान केन्द्र, दुर्गापुरा, जयपुर में 29 जुलाई 1991 को सम्पन्न हुई :

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

1.	डा. हरिज्ञान सिंह	(कुलपति, अध्यक्ष)
2.	श्री आर. एस. कौशल	सदस्य
3.	श्री एम. एल. मेहता	,,
4.	श्री सी. एस. राजन	,,
5.	डा. जी. एस. शेखावत	,,
6.	श्री वी. एस. सिद्धू	,,
7.	डा. मानसिंह मनोहर	,,
8.	डा. पी. जोशी	,,
9.	डा. पी. एम. रायसिंघानी	,,
10.	डा. वी. वी. सिंह	,,
11.	श्री टी. पन्त	,,
12.	डा. के. वी. शर्मा	,,
13.	श्री वी. के. खुंटेटा	(शिक्षा सचिव के प्रतिनिधि के रूप में)
14.	श्री आर. वी. सिंह	(विशेष आमंत्रित)
15.	श्री सुनील धारीवाल	(सदस्य सचिव)

डा. एन. एस. रन्धावा, डा. आर. सी. मेहरोत्रा, डा. आई. पी. एब्रोल ने बैठक में सम्मिलित होने में अपनी असमर्थता प्रकट की ।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय कुलपति ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया एवम् आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने एवम् इसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने में सभी सदस्यों एवम् सरकार का सक्रिय सहयोग मिलता रहेगा ।

कृ. प. उ.

श्री एम. एल. मेहता, कृषि उत्पादन सचिव ने राज्य सरकार एवं सदस्यों के पूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाया एवम् आशा व्यक्त की कि माननीय कुलपति के लम्बे अनुभव एवं प्रशासनिक दक्षता व उच्च स्तर के वैज्ञानिक अनुभव का लाभ न केवल विश्वविद्यालय को बल्कि राज्य को भी प्राप्त होगा ।

कृवि/प्रबो-21/91-2/298

प्रबन्ध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 16.3.91 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया । यह निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत की पुष्टि निम्न संशोधनों/टिप्पणियों के साथ की जाय :

अ) मद संख्या प्रबो-20/91-1/275(अ) में उल्लिखित डा. वी. बी. सिंह के नाम को विलोपित कर पढ़ा जाय । (डा. वी. वी. सिंह ने उक्त उप समिति की बैठक में भाग नहीं लिया था)

ब) मद संख्या प्रबो-20/91-1/291 पर विचार करते समय कृषि अभियांत्रिकी फार्म, उम्मेदगंज, कोटा के घाटे में रहने पर चिन्ता व्यक्त की गई । यह निर्णय लिया गया कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय । यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक फार्म, चाहे वह बीज उत्पादन, अनुसन्धान अथवा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हो, के संबंध में निम्न ब्यौरा प्रस्तुत किया जाय । यह भी निर्णय लिया गया कि इन फार्मों पर फसल उत्पादन हेतु किया गया व्यय एवं आय का ब्यौरा भी हर वर्ष प्रस्तुत किया जाय ।

कृ. प. उ.

1) फार्म की कुल भूमि 2) खरीफ व रबी में कार्य में लाया गया कुल क्षेत्र 3) पड़त रही भूमि का क्षेत्र व उसके उपयोग में नहीं लाये जाने का कारण ।

स) प्रवो-20/91-1/296 विचार विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि वित्त समिति की बैठक की कार्यवृत की पुष्टि निम्न टिप्पणी के साथ की जाय ।

वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत की मद संख्या-4 में विश्व विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दौरान प्रयुक्त पुलिस बल के प्रत्येक व्यक्ति हेतु 5/-(पाँच रूपये) जलपान हेतु प्रदान करने का निर्णय लिया गया था ।

विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस निर्णय को संशोधित कर अधीक्षक, परीक्षा केन्द्र को इस हेतु खर्च करने के लिये अधिकृत कर दिया जाय पर इस प्रयोजन हेतु खर्च की सीमा वित्त समिति द्वारा सुझाई गई सीमा से अधिक न हों ।

कृवि/प्रवो-21/91-2/299

मण्डल द्वारा अब तक लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति को निम्न टिप्पणी के साथ आलोकित किया जाय ।

अ) प्रबन्ध मण्डल के निर्णय संख्या-88-1/36 द्वारा एक समिति का गठन किया गया था । इस समिति को शोध की प्राथमिकताओं

को निर्धारित कर यह पता लगाने का कार्य सौंपा गया था कि अब तक हुई शोध से समस्याओं को सुलझाने का कितना योगदान मिला है व इस परिपेक्ष्य में शोध की उपलब्धियों का पता करने व वैज्ञानिकों के पूर्ण उपयोग के बारे में सुझाव देने थे । इस समिति ने अब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और इसके अधिकतर सदस्य या तो सेवा निवृत हो चुके हैं या किन्हीं कारणों से विचार विमर्श हेतु उपलब्ध नहीं हैं । इसलिये समिति का पुनर्गठन किया गया । इस समिति के सदस्य निम्न प्रकार हैं । समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना प्रतिवेदन उपरोक्त बिन्दुओं पर तुरन्त प्रस्तुत करे :

1. डा. एच. जी. सिंह - अध्यक्ष
2. श्री रघुवीर सिंह कौशल
3. डा. एन. एस. रन्धावा
4. कृषि उत्पादन सचिव
5. निदेशक, कृषि
6. डा. गोकुल सिंह शेखावत
7. डा. एम. एस. मनोहर
8. अधिष्ठाता, प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर ।
9. डा. पी. जोशी

ब) प्रबो-13/89-6/164 सेवा निवृति पर कर्मचारियों को 240 दिन के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान करने के प्रकरण को कुलपतियों की समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के संबंध में यह निर्णय

कृ. प. उ.

लिया गया कि इस प्रकरण को समाप्त किया जाय और राज्य सरकार के प्रावधानों को काम में लाया जाय ।

स॥ प्रवो-13/89-6/168 भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के प्रस्ताव जिसमें विनिमयन की सहमति के आधार पर निर्धारित अवधि के लिये वैज्ञानिकों की प्रति नियुक्ति पर विचार किया गया । निर्णय लिया गया कि एक समय बिन्दु पर पाँच वैज्ञानिकों को दो वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है । इस प्रकार प्रदेश के कृषि विभाग से एवं कृषि विश्वविद्यालय के बीच भी इसी तरह का प्रावधान का निर्णय लिया गया ।

क॥ प्रवो-90-1/206 द्वारा विश्वविद्यालय की पर्सपैक्टिव प्लान के प्रारूप के परीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया गया था । निर्णय लिया गया कि मद संख्या प्रवो-88-1/36 हेतु गठित समिति ही पर्सपैक्टिव प्लान के प्रारूप का परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।

ख॥ प्रवो-15/90-1/216 ॥ए॥ में चाही गई जन सम्पर्क अधिकारी के पद के सृजन पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण इस प्रकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

ग॥ प्रवो-90-2/219 ॥सी॥ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करने के संबंध में सभी संस्थानों से सूचना प्राप्त हो जाने पर इसे पुनः प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखा जाए ।

कृ. प. उ.